प्रकाशन हेतु अनुमादित नहीं

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) सं. 1765/2015

चंद्र प्रकाश कश्यप, पिता- हीरालाल कश्यप, आयु- लगभग 35 वर्ष, निवासी- ग्राम मोहतारा कुर्मी, पोस्ट देवहारत, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़,

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ

2. रणजीत सिंह, पिता- दुजे सिंह, आयु- लगभग 32 वर्ष, निवासी- ग्राम मोहतारा कुर्मी, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----उत्तरवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : डॉ. शैलेश आहूजा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री सैयद माजिद अली, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. सैम कोशी

सी. ए. वी. आदेश

30/07/2018 को पारित

1. वर्तमान रिट याचिका उत्तरवादी सं. 2 के पक्ष में पारित नियुक्ति के आदेश को अपास्त करने के लिए प्रस्तुत की गई है और उत्तरवादी सं. 2 के बजाय याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार करने के लिए एक निर्देश की मांग भी की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वर्ष 2014 में राज्य सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग के तहत अतिरिक्त लोक अभियोजक, मुंगेली, जिला मुंगेली के कार्यालय में चपरासी के पद के लिए एक रिक्ति उत्पन्न हुई थी। उक्त पद को भरने के लिए कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था, यद्यपि रोजगार कार्यालय से नाम बुलाए गए थे। याचिकाकर्ता और उत्तरवादी सं. 2 सहित कुछ अन्य लोगों ने भी उक्त पद के लिए आवेदन किया था। अपेक्षित पात्रता मानदंडों की जांच पर उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता को भी उपयुक्त पाया और 15.07.2014 दिनांकित कॉल लेटर के माध्यम से साक्षात्कार के लिए बुलाया।

3. कुल 13 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जिनमें से केवल 6 या 7 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। साक्षात्कार किए गए सभी छह उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों के तुलनात्मक अध्ययन पर याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता को शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ अनुभव के मामले में भी बेहतर स्थान दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के बेहतर स्थिति में होने के बावजूद, प्रतिवादियों ने मनमाने ढंग से उत्तरवादी सं. 2 को नियुक्त किया है, जो निस्संदेह याचिकाकर्ता की तुलना में सभी मामलों में कम योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के अनुसार, चयन की पूरी प्रक्रिया इस सरल कारण से दुर्भावनापूर्ण है कि; सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था, दूसरा उन उम्मीदवारों में से, जो उपस्थित हुए थे, कोई तुलनात्मक विवरण या तुलनात्मक मूल्यांकन या तो नहीं किया गया था या तैयार किया गया था या उत्तरवादियों के साथ उपलब्ध नहीं था ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों में से कौन बेहतर था।

5. याचिकाकर्ता का यह भी तर्क था कि तुलनात्मक चार्ट तैयार करते समय उत्तरवादियों ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को 8वीं पास दर्शाया गया है, जबकि वह एक उच्च माध्यमिक पास उम्मीदवार है और उसने दस्तावेजी प्रमाण के साथ इस विशिष्ट विवरण

को देते हुए आवेदन किया था, परन्तु संबंधित अधिकारियों ने इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया है और याचिकाकर्ता को भी 8वीं पास उम्मीदवार में से एक के रूप में दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्शाया गया है। इस प्रकार उत्तरवादी सं. 2 की नियुक्ति को अलग रखने के लिए प्रार्थना की गई और याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार करने के साथ-साथ एक तुलनात्मक चार्ट तैयार करके नए सिरे से चयन करने का भी अनुरोध किया गया।

6. इसके विपरीत, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नए स्थापित विभाग में आवश्यक श्रमशक्ति की अत्यावश्यक्ता पर विचार करते हुए और समय की आवश्यकता पर भी विचार करते हुए, विभाग ने उन लोगों में से एक उम्मीदवार का चयन करने के बारे में सोचा जिनके नाम रोजगार विनिमय द्वारा प्रायोजित हैं। उन्होंने आगे कहा कि विभाग ने वस्तुतः एक तुलनात्मक चार्ट तैयार किया है और इस प्रक्रिया में उन्होंने उत्तरवादी सं. 2 को सभी मामलों में सबसे उपयुक्त उम्मीदवार पाया है अतः उन्होंने उत्तरवादी सं. 2 की नियुक्ति का आदेश दिया है। उत्तरवादियों ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के इस तर्क पर भी आपत्ति जताई कि उसने इस साधारण कारण से विज्ञापन नहीं दिया था कि याचिकाकर्ता ने खुद आवेदन किया था और उसे असफल पाया था, अब वह मुड़कर भर्ती के तरीके पर प्रश्न नहीं उठा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. उत्तरवादियों के अनुसार, चयन प्रक्रिया पर भी संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया था अतः कोई दुर्भावना नहीं है। राज्य सरकार ने अनुलग्नक **R**/9 का उल्लेख करते हुए आगे कहा कि समिति ने दस्तावेजों और प्रमाण- पत्रों की उचित जांच के बाद और साथ ही साक्षात्कार जो आयोजित किया गया था, एक अंतिम चयन सूची तैयार की जिसमें उत्तरवादी सं. 2 शीर्ष पर था, और इस प्रकार रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया।

8. उत्तरवादियों के अनुसार, न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से यह न्यायालय प्रत्येक उम्मीदवार के प्रमाण- पत्रों के संक्षिप्त विवरण में जाकर पूरी चयन प्रक्रिया की विस्तृत जांच नहीं कर सकता है और फिर एक अलग मूल्यांकन तक नहीं पहुंच सकता है।

9. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद और अभिलेख के परिशीलन के बाद, कुछ स्वीकृत पदों में राज्य सरकार के विधि और विधायी मामलों के विभाग के तहत अतिरिक्त लोक अभियोजक, मुंगेली, जिला मुंगेली के कार्यालय में चपरासी के पद पर भर्ती के लिए कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था। चयन के लिए केवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम बुलाए जाते थे। यद्यपि उत्तरवादियों द्वारा एक अंतिम सारणीकरण आरोप तैयार अभिनिर्धारित किया जाता है गया है, परन्तु कौन से मानदंड थे, जिन पर गौर किया गया था, प्रत्येक उम्मीदवार की संबंधित शैक्षिक योग्यता क्या थी, प्रत्येक उम्मीदवार का अनुभव क्या था और उन्होंने साक्षात्कार में कितने अंक प्राप्त किए हैं, यदि कोई भी हो, तो सभी रिकॉर्ड से गायब थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. यदि हम वर्ष 2011 **"उड़ीसा राज्य बनाम ममता मोहंती" (2011) 3 एस. सी. सी. 436** में हाल ही में पारित एक निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा की गई न्यायिक घोषणाओं को देखें तो, सिविल अपील सं.1272/2011 में अपने 09.02.2011 दिनांकित निर्णय की कण्डिका 18 से 20 में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> **"18. एक समय इस न्यायालय का विचार था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम बुलाने से सार्वजनिक रोजगार में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के खतरे पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। परन्तु, बाद में, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुच्छेद 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ उपयुक्त विधि का पालन किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आवेदनों के लिए उपयुक्त तरीके से एक सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए और जो लोग इसके उत्तर**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में आवेदन करते हैं, उन सभी पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। भले ही उम्मीदवारों के नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मांगे गए हों, इसके अलावा नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि वह खुले बाजार से सभी योग्य उम्मीदवारों से रिक्तियों का विज्ञापन व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में या रेडियो और टेलीविजन में घोषणा करके आवेदन आमंत्रित करे क्योंकि केवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम बुलाना संविधान के उक्त अनुच्छेद की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। (देखें : दिल्ली विकास बागवानी कर्मचारी संघ बनाम दिल्ली प्रशासन, दिल्ली व अन्य, एआईआर 1992 एससी 789; हरियाणा राज्य व अन्य बनाम प्यारा सिंह व अन्य, ए. आई. आर 1992 एस. सी. 2130; आबकारी अधीक्षक मल्कापटनम, कृष्णा जिला, ए. पी. बनाम के. बी. एन. विश्वेश्वरा राव व अन्य, (1996) 6 एससीसी 216; अरुण तिवारी व अन्य बनाम जिला मनस्वी शिक्षक संघ व अन्य, ए. आई. आर 1998 एस. सी. 331; बिनोद कुमार गुप्ता व अन्य बनाम राम आश्रय महतो व अन्य, ए.आई.आर. 2005 एससी 2103; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड व अन्य बनाम सोमवीर सिंह, एआईआर 2006 एससी 2319; दूरसंचार जिला प्रबंधक व अन्य बनाम केशव देब, (2008) 8 एस. सी. सी. 402; बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह व अन्य, (2009) 5 एस. सी. सी. 65; और मध्य प्रदेश राज्य व अन्य बनाम मोहम्मद इब्राहिम (2009) 15 एस. सी. सी. 214)।

19. अतः यह एक सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि किसी भी व्यक्ति को सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए

बिना अस्थायी या तदर्थ आधार पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि कोई नियुक्ति केवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम आमंत्रित करके या नोटिस बोर्ड आदि पर एक नोट चस्पाकर की जाती है तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की अनिवार्यता को पूरा नहीं करेगी। इस तरह का मार्ग भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिदेश का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पद के लिए पात्र उम्मीदवारों को विचार किए जाने से वंचित करता है। इन उपबंधों का उल्लंघन करते हुए नियोजित व्यक्ति वेतन सहित किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है। एक वैध और विधिक नियुक्ति के लिए उक्त संवैधानिक आवश्यकता का अनिवार्य अनुपालन पूरा किया जाना है। अनुच्छेद 16 में निहित समानता खंड की आवश्यकता है कि ऐसी प्रत्येक नियुक्ति एक खुले विज्ञापन द्वारा की जाए ताकि सभी पात्र व्यक्ति योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. 20. यह एक सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि यदि कोई आदेश अपनी शुरुआत में गलत है, तो यह बाद के स्तर में सही नहीं होता है। बाद की कार्रवाई/ विकास किसी ऐसी कार्रवाई को मान्य नहीं कर सकता है जो अपनी शुरुआत में वैध नहीं थी, क्योंकि अवैधता आदेश की जड़ पर हमला करती है।इस तरह के आदेश को मान्य करना किसी भी प्राधिकरण की क्षमता से परे होगा। यह विडंबना होगी कि किसी व्यक्ति को उस विधि पर भरोसा करने की अनुमति दी जाए, जिसका उल्लंघन करते हुए उसने लाभ प्राप्त किए हैं। यदि प्रारंभिक स्तर में कोई आदेश कानूनविधि की दृस्टि से दोष पूर्ण है, तो उसके परिणामस्वरूप

आगे की सभी कार्यवाहियां अवैध होंगी और उन्हें अनिवार्य रूप से अपास्त न होगा। विधि में अधिकार केवल और केवल तभी मौजूद होता है जब इसका वैध मूल होता है। (देखें : उपेन चंद्र गोगोई बनाम असम राज्य व अन्य, ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1289")

12. यही सिद्धांत **अरुण कुमार नायक बनाम भारत संघ व अन्य [(2006) 8 एस. सी. सी. 111]** में इन शब्दों के साथ दोहराया गया :

"अतः विश्वेश्वर राव के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि रिक्तियों और रोजगार कार्यालय से प्रायोजित उम्मीदवारों के बारे में रोजगार कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य है। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि निष्पक्षता, न्याय और समान अवसर के सिद्धांत का पालन करते हुए उपयुक्त विभाग या प्रतिष्ठान को व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन, रेडियो, टेलीविजन और रोजगार समाचार बुलेटिनों पर घोषणा करके नामों की मांग करनी चाहिए और आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों पर विचार करना चाहिए। यह विचार रोजगार के मामले में सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया था। इस तरह के निर्देश के पीछे का तर्क भी ठोस लोक नीति के अनुरूप है जो समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन और रोजगार समाचार बुलेटिन में व्यापक प्रकाशन द्वारा रिक्ति की सूचना के अवसर को व्यापक बनाता है, बेहतर योग्यता वाले बेहतर उम्मीदवार आकर्षित होते हैं, ताकि पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हो सकें और जनहित को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की जा सके।

13. **आबकारी अधीक्षक, मल्कापटनम, जिला- कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश बनाम के. बी. एन. विश्वेश्वरा राव व अन्य [(1996) 6 एस. सी. सी. 216]** के प्रकरण में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह दोहराते हुए कि अधिग्रहण करने वाले प्राधिकरण/प्रतिष्ठान को रोजगार विनिमय (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) को सूचना भेजनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को उम्मीदवारों के नाम प्रायोजित करने चाहिए, निम्नलिखित टिप्पणी की :

> **"...... यह आम जानकारी है कि कई उम्मीदवार नाम प्रायोजित करने में असमर्थ हैं, यद्यपि उनके नाम या तो पंजीकृत हैं या रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप चयन का विकल्प केवल उन उम्मीदवारों तक ही सीमित है जिनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं।इन परिस्थितियों में, कई योग्य उम्मीदवार राज्य के तहत किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित हैं।बेहतर विचार यह प्रतीत होता है कि अधिग्रहण प्राधिकरण/प्रतिष्ठान के लिए रोजगार विनिमय को सूचित करना अनिवार्य होना चाहिए, और रोजगार विनिमय को अनुरोध के अनुसार वरिष्ठता और आरक्षण के अनुसार चयन के लिए अनुरोध करने वाले विभागों को उम्मीदवारों के नाम प्रायोजित करने चाहिए। इसके अलावा, उपयुक्त विभाग या उपक्रम या प्रतिष्ठान को व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा नामों की मांग करनी चाहिए और अपने कार्यालय के सूचना पटलों पर भी प्रदर्शित करना चाहिए या रेडियो, टेलीविजन और रोजगार समाचार बुलेटिनों पर घोषणा करनी चाहिए; और फिर आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के मामलों पर विचार चाहिए। यदि इस प्रक्रिया**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **को अपनाया जाता है, तो निष्पक्ष खेल को कम किया जाएगा। रोजगार के मामले में अवसर की समानता सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी।**

14. "**बिहार राज्य बनाम उपेंद्र नारायण सिंह" (2009) 5 एस. सी. सी. 65** के प्रकरण में 20.03.2009 को निर्णित सिविल अपील सं. 1741/2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कण्डिका सं. 16 में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

> **"16. उपरोक्त तीन निर्णयों का अनुपात यह है कि 1959 के अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में, प्रत्येक सार्वजनिक नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह रिक्तियों को संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करे ताकि वह योग्य उम्मीदवारों के नामों को प्रायोजित कर सके और व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में भी इसका विज्ञापन कर सके, रोजगार समाचार बुलेटिन, रेडियो और टेलीविजन पर घोषणा प्राप्त कर सके और उन सभी योग्य उम्मीदवारों विचार कर सके जिनके नाम संबंधित रोजगार कार्यालय द्वारा अग्रेषित किए जा सकते हैं और/या जो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन या रेडियो/टेलीविजन पर की गई घोषणाओं के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।"**

15. उपरोक्त विधिक स्थिति से जैसा कि यह है और तथ्यात्मक मैट्रिक्स से जहां रिकॉर्ड में एक समेकित अंक दिखाने वाले सारणीकरण चार्ट को छोड़कर एक तुलनात्मक चार्ट या तुलनात्मक मूल्यांकन की विज्ञापन तैयारी जारी करने की कमी है, जिसे उम्मीदवारों ने प्राप्त किया था, उसे उचित भर्ती नहीं कहा जा सकता है। **"शंभू शरण महतो बनाम बिहार राज्य"** के प्रकरण में पटना उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ के निर्णय के हिस्से को संदर्भित करते हुए 06.12.2014 को निर्णित एल. पी. ए. सं. 1639/2014 में अभिनिर्धारित किया गया है कि :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **“सार्वजनिक रोजगार राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों के पक्ष में करने के लिए एक थाली में नहीं रखा जा सकता है, जो सार्वजनिक रोजगार का समान अवसर सुनिश्चित करता है।"**

16. इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में भी कोई संकोच नहीं है कि उत्तरवादी सं. 2 की नियुक्ति विधिक दृस्टि से दोषपूर्ण थी और उन मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं थी जिनका भर्ती के समय अन्यथा पालन किया जाना चाहिए अतः यह विधिक दृस्टि से दोषपूर्ण अभिनिर्धारित किए जाने योग्य है और तदानुसार इसे विधिक दृस्टि से दोषपूर्ण, अवैध और अपोषणीय अभिनिर्धारित किया जाता है और यह अपास्त किए जाने योग्य है और तदानुसार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में उचित विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तरवादियों को एक नई भर्ती के लिए निर्देश के साथ इसे अपास्त किया जाता है।

17. तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

सही/-

(पी. सैम कोशी)

न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur